भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 33
02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: अत्यधिक वर्षा के कारण प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता

***33. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर चन्द्रपुर जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन के अतिरिक्त अन्य फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रभावित किसानों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए शीघ्रता से पर्याप्त वित्तीय मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किसानों को उक्त सहायता कब तक वितरित किए जाने की संभावना है;

(ड.) क्या क्षति संबंधी पंचनामा आकलन में मृदा अपरदन और संपूर्ण फसल की हानि जैसे कारकों को शामिल न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पंचनामा प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अत्यधिक वर्षा के कारण प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, क्षति का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से, 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन करना शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, मुआवजे के लिए नहीं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 4176.80 करोड़ रुपये की राशि (3132.80 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा + 1044.00 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) आवंटित की गई है, जिसमें से केंद्र के हिस्से के रूप में 1566.40 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त राज्य को जारी की गई है।

वर्ष 2025 में आने वाली बाढ़ के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने राज्य में स्थल पर जाकर क्षति का आकलन करने के लिए दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया था। आईएमसीटी ने दिनांक 03 नवंबर, 2025 से 05 नवंबर, 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, उसे एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि भारी वर्षा से प्रभावित किसानों की कुल संख्या (सभी फसलें) 1,25,602 है। कुल प्रभावित क्षेत्र 1,10,309.13 हेक्टेयर है। चंद्रपुर ज़िले में सभी प्रभावित फसलों के लिए 9,376.56 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया किया गया है। रबी फसलों के लिए सभी प्रभावित किसानों को 11,030.94 लाख रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता जारी की गई है। दिनांक 24.11.2025 तक ई-पंचनामा भुगतान वितरण पोर्टल के माध्यम से 1,13,455 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 82,37,50,048 रुपये की राशि सीधे अंतरित की गई है।

(ड.) एवं (च): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****